राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

विषयः– नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के संबंध में।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक अशा. टीप दिनांक 29.11.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अशा. टीप के संदर्भ में लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन सिविल संख्या 6385/2010 सूरजभान मीणा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा **राज्य सरकार की ओर से दायर एस.एल.पी. संख्या 7716/2010 स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स बनाम बजरंग लाल शर्मा व अन्य**, 7717, 7826, 7838/2010 को निर्णय दिनांक 07.12.2010 के द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारी/विभाग यह सुनिश्चित करें कि यदि उनके विभाग में किसी सेवा संवर्ग की वरिष्ठता अधिसूचना दिनांक 28.12.2002 एवं 25.04.2008 से प्रभावित होती है तो अग्रिम आदेशों तक उक्त सेवा संवर्ग में किसी भी प्रकार की पदोन्नति कार्यवाही स्थगित रखी जाये।

प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति0 मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
अशा.टीप सं. प.4(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./2006
जयपुर, दिनांक 28-12-2010

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

शासन उप सचिव

46/2010